सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

V.C. 200/2025
27/1/2025

कुलसचिव

संज्ञान में आया है कि कुछ संस्कृत महाविद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक से रिक्त पदों की परिपुष्टि प्राप्त कर शासनादेश (सं०1536/सत्तर-12022-16(79)/2018 दिनांक 13 मई 2022, जिसके द्वारा परिनियम में संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 25.09.2019 निर्गत किये जाने के पूर्व के विज्ञापनों पर ही विषय-विशेषज्ञ दिये जा सकते हैं।) के विपरीत विज्ञापन कराकर विषय-विशेषज्ञ की माँग कर रहे हैं, जो विधिमान्य नहीं है। इस प्रकार के महाविद्यालय विषय-विशेषज्ञ की माँग कर रहे हैं और विशेषज्ञ न मिलने पर मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित कर रहें है। ऐसे समस्त अनुदानित संस्कृत महाविद्यालयों को इस आशय की सूचना प्रेषित की जाय कि जिन महाविद्यालयों में पद रिक्त हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक ने परिपुष्टि प्रदान की है, उससे सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा यदि विज्ञापन कराया जाता है, तो विज्ञापन की प्रति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की परिपुष्टि कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध करायें, जिसे विश्वविद्यालय की वेवसाईट पर अपलोड किया जा सके। ऐसा न करने वाले महाविद्यालयों के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रबन्धतन्त्र द्वारा की गयी कार्यवाही को विधिशून्य माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी।

बिहारी लाल शर्मा
कुलपति
27/01/2025

उपरोक्त आदेश का अनुपालन समस्त महाविद्यालयों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

28/1/2025

(राकेश कुमार)
आई०ए०एस०
कुलसचिव